न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06 / 2023 **दायर दिनांकः 30.06.2023**

उनवान

1. कमलेश बाई आयु 43 वर्ष पत्नी भीमराज
2. मीना कुमारी आयु 35 वर्ष पत्नी ललित किशोर जाति धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थियागण

बनाम

1. मदनलाल आयु 70 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाती धाकड़ निवासी नृसिंहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर
अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

निर्णय

दिनाकः 28 / 05 / 2025

प्रार्थियागण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल नृसिहपुरा तहसील अटरु जिला बारां (राज.) में आराजी खाता संख्या 211 का खसरा नं. 756 / 753 का रकबा 1.44 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.44 है0 आराजी प्रार्थियागण के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल नृसिहपुरा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) की आराजी खाता संख्या 99 के खसरा नं. 574 का रकबा 0.04 है0, खसरा न. 729 / 221 का रकबा 4.42 है0 कुल किता 2 का रकबा 4.46 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 1 कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थियागण पूर्वजों के समय से ही

आम रोड से खसरा नं. 729/221 की दक्षिण मेड पर पूर्व से पश्चिम की ओर से होकर बने रास्ते से होकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त की आराजी में आते–जाते रहे है एवं अपने कृषि यन्त्र एवं कृषि उपज लाते ले जाते रहे है तथा उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्ण तरीके से करते चले आ रहे है। प्रार्थियागण सदैव से ही उक्त रास्ते में होकर अपनी आराजी को काश्त करने हेतु आते जाते रहे है। जिसे आज दिन तक किसी ने नहीं रोका है लेकिन वर्तमान में प्रार्थियागण के रास्ते को अप्रार्थी क्रम 1 ने बंद कर दिया एवं उसे हांक कर अपनी आराजी ने मिला लिया है। जिससे प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता बंद होकर अवरुद्ध हो गया है, प्रार्थियागण ने इस बाबत अप्रार्थी क्रम 1 से कहा तो उसने प्रार्थियागण को वहाँ से निकलने से मना कर दिया और धमकी दी की आईन्दा यहाँ से मत निकलना अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। जबकि प्रार्थियागण ने कहा कि उक्त रास्ता पूर्वजों के समय से ही है तो वह नहीं माना जिससे प्रार्थियागण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने समस्या उत्पन्न हो रही है एवं कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थियागण के खेत पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थियागण आज तक उक्त रास्ते पर होकर आते–जाते रहे है। इसलिए प्रार्थियागण उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में तरमीम करवाना चाहते है । जिसके लिए प्रार्थियागण मुताबिक़ आदेश राशि जमा करवाने को तैयार है। विवाद कारण प्रथम व अंतिम बार दिनांक 10/04/2023 को अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थियागण के रास्ते को बंद कर देने व निकलने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर एवं प्रार्थियागण द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 से रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन करने पर अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ । राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील अटरू को अप्रार्थी क्रम 2 बनाया है। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम नृसिहपुरा तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अन्य कारण वक़्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थियागण निवेदन करती है कि प्रार्थियागण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की ग्राम/माल नृसिहपुरा में स्थित आराजी खाता संख्या 211 के खसरा नं.

756/753 का रकबा 1.44 है. में जाने हेतु पूर्व से चले आ रहे रास्ते ग्राम/माल नृसिहपुरा की खाता संख्या 99 के खसरा नं. 729/221 की दक्षिण मेड पर पूर्व से पश्चिम की ओर से होकर बने रास्ते को नजरी नक़्शे में A से B स्थान पर लाल स्याही से दर्शाया गया है जिसको खुलासा करवाया जाकर 15 फुट आम रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड के नजरी नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी क्रम 2 को प्रदान किये जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 का विवरण गलत लिखा है। स्वीकार नही है। प्रार्थियागण कभी भी उक्त खेत पर खेती करने नहीं आई। क्योंकि पूर्व में प्रार्थियागण एवं अप्रार्थी क्रम 1 का शामलाती खाता था। कुछ समय पूर्व खाते अलग–अलग हो गये है एवं प्रार्थियागण ने एक वर्ष पूर्व ही जमीन खरीद की है पूर्व में तो प्रार्थियागण के खेत वाले ख.नं. 726/222 व 223 के बीच की मेड़ पर होकर आते जाते रहे है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 का विवरण गलत लिखा है जो स्वीकार नही है। प्रार्थियागण कभी भी अप्रार्थी क्रम 1 के खेत में होकर नही निकली। अप्रार्थी क्रम 1 के खेत में कभी भी कोई रास्ता नही रहा है। प्रार्थियागण का रास्ता सदैव से ख.नं. 726/222 व 223 के बीच की मेड़ पर होकर है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 का विवरण गलत लिखा है जो स्वीकार नही है। प्रार्थियागण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका आधार नही है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 का विवरण गलत लिखा है जो स्वीकार नही है। कभी कोई विवाद नही हुआ। अगर विवाद होता तो थाने में रिपोर्ट में होती। प्रार्थना पत्र का मद नं. 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 8 कानूनी है। प्रार्थना पत्र का मद नं. 9 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 10 का जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा।

विशेष आपत्तियां

यह कि प्रार्थियागण का खेत पर जाने का रास्ता ख.नं. 726/222 व 223 के बीच की मेड़ पर होकर है। लगभग 50 वर्षों से ख.नं. 726/222 व 223 के बीच की मेड़ पर होकर आते जाते रहे है।

अतः माननीय न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 2 तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/768 दिनांक 01.04.2025 से मौका रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर जाने हेतु प्रार्थीगण ग्राम नृसिंहपुरा के ख0नं0 729/221 रकबा 4.42 है0 भूमि में से दक्षिण मेड पर पूर्व से पश्चिम की और से होकर रास्ता लेना चाहते है। वर्तमान में मौके पर ख0नं0 756/753 है0 रकबा 1.44 है0 भूमि पर जाने हेतु कोई रास्ता नही है। यदि ख0नं0 729/221 रकबा 4.42 है0 भूमि में से रास्ता दिया जावे तो 4.5 मीटर चौडाई व 122 मीटर लम्बाई यानि 549 वर्ग मीटर भूमि होती है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी के खेत ख0नं0 756/753 का रकबा 1.44 है0 पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 के ख0नं0 729/221 की दक्षिण मेड पर पूर्व से पश्चिम की और बना हुआ है की मेड पर होकर बना हुआ हैं। जिस पर होकर प्रार्थियागण पूर्व से ही अपने कृषि यंत्र व कृषि उपज लाते ले जाते रहे है। अप्रार्थी क्रम 1 ने जबरन उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है तथा अपनी आराजी में मिला लिया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थियागण के खेत पर आने जाने का कोई अन्य रास्ता नही है। प्रार्थियागण रास्ते के उपयोग मे ली जाने वाली भूमि का मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने को तैयार हैं।

अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध किया तथा कथन किया कि प्रार्थियागण कभी भी अप्रार्थी क्रम 1 के खेत में होकर नही निकली ना ही खेत में होकर कोई रास्ता रहा। प्रार्थियागण का खेत पर जाने का रास्ता ख.नं. 726/222 व 223 के बीच की मेड़ पर होकर है। लगभग 50 वर्षों से ख.नं. 726/222 व 223 के बीच की मेड़ पर होकर आते जाते रहे है।

अभिभाषक प्रार्थियागण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः—

- वैकल्पिक रास्ता नही होना
- रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना
- सबसे लघुत्तम रास्ता होना

- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/768 दिनांक 01.04.2025 के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम नृसिंहपुरा के ख0नं0 756/753 तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः वैकल्पिक रास्ते का अभाव साबित होता है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/768 दिनांक 01.04.2025 के अनुसार प्रार्थी के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ते की नितान्त आवश्यकता साबित है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/768 दिनांक 01.04.2025 के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम नृसिंहपुरा के ख0नं0 756/753 तक पहुंचने हेतु ग्राम नृसिंहपुरा के ख0नं0 729/221 से रास्ता दिया जावे तो रास्ते की लंबाई 122 मीटर व चौडाई 4.5 मीटर होगी। संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम रास्ता है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थियागण के स्वामित्व की आराजी ग्राम नृसिंहपुरा के ख0नं0 756/753 तक पहुंच हेतु 4.5 मीटर चौडा एवं 122 मीटर लम्बा यानी 549 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थियागण द्वारा रास्ते के रूप में दर्ज की जाने वाली भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 को हिस्से अनुसार अदा किए जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां